समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपूर्ति ,शाखा)
पत्रांक...909.....

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

सेवा में,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

मधेपुरा,दिनांक 22.09.2020

विषयः- दिव्यांग के साथ भेदभाव करने के संबंध में श्री मुकेश कुमार,जिला मधेपुरा से प्राप्त परिवाद के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक 1179/आ.नि.को. दिनांक 01.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र वाद सं0-3171/2020 श्री मुकेश कुमार,पिता-स्व0 नवल किशोर सिंह, ग्राम-बेलोडीह, पोस्ट-बेलो, थाना-मुरलीगंज,जिला-मधेपुरा बनाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के संदर्भ में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्राप्त विहित आवेदन/कागजात एवं की गई अनुशंसा के आलोक दिनांक 17.09.2020 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में वादी श्री मुकेश कुमार का अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नई अनुज्ञप्ति हेतु चयन किया गया जा चूका है। सुलभ प्रसंग हेतु बैठक की कार्यवाही भवदीय के सेवा में संलग्न कर भेजी जा रही है। साथ ही इस आशय की सूचना वादी श्री मुकेश कुमार को भी दी जा रही है।

अनुलगन्कः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

22.9.2020

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Scanned with CamScanner

श्री नवदीप शुक्ला, भा0 प्र0 से0, जिलाधिकारी,मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.2020 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 1750/खाद्य दिनांक 10.3.2016 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,2016 एवं पत्रांक 4842 दिनांक 25.09. 2017 मे निहित प्रावधानों के तहत मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाहीः-

---

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

01 जिलाधिकारी,मधेपुरा।

02 जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा।

03 अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा।

04 अनुमंडल पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज।

05 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपरा।

06 जिला सहकारिता पदाधिकारी,मधेपुरा।

कार्यवाहीः-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-सचिव, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा मृत अनुज्ञप्तिधारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के नई अनुज्ञप्ति के चयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज से अनुशंसा के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों/कागजातों को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-सचिव, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर चयन संबंधी विभागीय प्रावधानों की जानकारी दी गई। बैठक में अवगत कराया गया कि अनुकम्पा के आधार पर मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रितों के चयन हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 1750/खाद्य दिनांक 10.03.2016 द्वारा निर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,2016 की कंडिका-10 में निहित प्रावधान का संदर्भित निम्न हैः-

" किसी अनुज्ञप्तिधारी की 58(अठावन) वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर, उसकी दुकान प्राथमिकता के आधार पर मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्रवधु, और पुत्र की विधवा पत्नी को आवंटित की जायेगी। उपर्युक्त एक में से अधिक आश्रित हो तो ,शेष से एक के पक्ष में हक छोड़ने के लिए शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा।अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर ही उसके आश्रितों द्वारा आवेदन पत्र देने पर,उस पर विचार किया जायेगा। यदि स्वीकृत होता है, तो उचित मूल्य की दुकान की ऐसी अनुज्ञप्ति एक नई अनुज्ञप्ति होगी और आगे भी अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञेय होगी, किन्तु मृत अनुज्ञप्तिधारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी मे या सरकारी लाभ के पद पर हो, तो ऐसे परिवार को अनुकम्पा का लाभ नही मिलेगा।

साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4842 दिनांक 25.09.2017 द्वारा जन वितरण प्रणाली में नियुक्ति या अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु उम्र, शैक्षणिक योग्यता ईत्यादि अर्हत्ता वही होगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,2016 के द्वारा निर्धारित की गई है"।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में जिलान्तर्गत मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर चयन हेतु मृत जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित द्वारा समर्पित आवेदन

Scanned with CamScanner

पत्र,अन्य आश्रितों द्वारा आवेदक के पक्ष में दावा छोड़ने संबंधी शपथ पत्र, अन्य कागजातों/प्रमाण पत्रों सहित अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराये गये 02 (दो) आवेदन को जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–सचिव, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा बैठक में उपस्थापित करते हुए जानकारी दी गई कि विगत बैठक दिनांक 08.02.2020 एवं 03.07.2020 को मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत के 02(दो) आवेदक अर्थात् मुकेश कुमार पंचायत बेलो, प्रखंड मुरलीगंज एवं मुकेश कुमार पंचायत सिंहेश्वर प्रखंड सिंहेश्वर का चयन नहीं किया गया था। इन आश्रितं के पिता क्रमशः स्व0 नवल किशोर सिंह एवं दुखा यादव के उम्र संबंधी संलग्न साक्ष्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र का संबंधित विद्यालय से सत्यापन कराकर अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को पुनः जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ भेजने हेतु निदेशित किया गया था।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा अनुकम्पा के आधार पर उक्त आवेदकों का जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नई अनुज्ञप्ति हेतु पुनः जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ भेजे गये अनुशंसित आवेदन/अन्य कागजात एवं सत्यापन प्रतिवेदन को जिला स्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यगण द्वारा उक्त आवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन सहित अन्य संलग्न कागजातों की आवेदक–वार समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से मृत अनुज्ञप्तिधारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निम्नरूपेण निर्णय लिया गयाः–

क्र0	आवेदक का नाम/पता	मृत ज0वि0प्र0वि0 (आवेदक के पिता/माता/पति) का नाम	चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	2	3	04
1	मुकेश कुमार, पिता–स्व0 नवल किशोर सिंह, ग्राम पंचायत बेलो प्रखंड मुरलीगंज	स्व0 नवल किशोर सिंह	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 554 दिनांक 24.08.20 के द्वारा आवेदक का विहित आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों, शपथ पत्र, अन्य कागजात/ अनियोजन प्रणाण पत्र,पारिवारिक सूची, वंशावली सहित मृत अनुज्ञप्तिधारी स्व0 नवल किशोर सिंह की उम्र संबंधी शैक्षणिक प्रमाण की सत्यापन प्रतिवेदन सहित अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व में दिनांक 08.02.2020 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा द्वारा मृत अनुप्तिधारी स्व0 नवल किशोर सिंह के उम्र संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापन कराया गया। तत्संबंधी सत्यापन प्रतिवेदन, आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि एवं उक्त सभी कागजातो/प्रमाण पत्रों सहित अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा की अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से मृत अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित मुकेश कुमार को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु चयन किया गया।

Scanned with CamScanner

2	मुकेश कुमार पिता–स्व0 दुखा यादव, ग्राम पंचायत सिंहेश्वर, प्रखंड सिंहेश्वर	स्व0 दुखा यादव	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 545 दिनांक 20.08.20 के द्वारा आवेदक का विहित आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों, शपथ पत्र, अन्य कागजात/ अनियोजन प्रणाण पत्र,पारिवारिक सूची, वंशावली सहित मृत अनुज्ञप्तिधारी स्व0 दुखा यादव की उम्र संबंधी शैक्षणिक प्रमाण की सत्यापन प्रतिवेदन सहित अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व में दिनांक 03.07.2020 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा द्वारा मृत अनुप्तिधारी स्व0 दुखा यादव के उम्र संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापन कराया गया। तत्सबंधी सत्यापन प्रतिवेदन एवं उक्त सभी कागजातो/प्रमाण पत्रों सहित अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा की अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से मृत अनुज्ञप्तिधारी के आश्रित मुकेश कुमार को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु चयन किया गया।

सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से जिला स्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यगण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान हेतु अनुकम्पा के आधार पर चयनित आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी चयनित सभी आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों एवं संलग्न कागजातों/प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत सतुष्ट होने के उपरांत तथा आवेदक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश,2016 में निहित प्रावधान अन्तर्गत अर्हता संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति निर्गत करेगें।

<u>शर्त्त :–</u>

1. चयनित आवेदक से इस बात का भी शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दण्ड नही दिया गया है तथा आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है।
2. चयनित आवेदक से इस बात का भी शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि आवेदक एवं इनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी मे या सरकारी लाभ के पद पर नही है।
3. चयनित आवेदक के अनुज्ञप्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये गये कागजात/प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है तो संबंधित आवेदक की अनुज्ञप्ति को रदद कर दी जायेगी।
4. चयनित आवेदक के अनुज्ञप्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति पाने वाले व्यक्ति यदि मृतक के अन्य आश्रितों का भरण पोषण नहीं करेंगें, तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

17.9.2020	17/9/2020	17/09/2020	17/9/2020	17/9/2020	17/9
जिला आपूर्ति पदा0–सह–सचिव जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा	जिला सहकारिता पदा0–सह–सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा–सह–सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी –सह–सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा	अनुमंडल पदा0, उदाकिशुनगंज –सह–सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा	जिलाधिकारी –सह–अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा

Scanned with CamScanner